डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 380/2018 दायर दिनाँक 24.12.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. वीरेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र गोविन्दसिंह राठौड़, उम्र–42साल, जाति–राजपूत, निवासी–बाँठडी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र स्वर्गीय धनसिंह, उम्र–70साल, 2. विक्रमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, उम्र–45साल, 3. प्रमोदकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–48साल, 4. सरोजकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–39साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बाँठडी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितमसिंह राठौड़, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद बाँठडी के वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नलिखित खातेदारी आदेश पारित किया जाता है:–

1. खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि, का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

इन खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 का नाम, उक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से एवं खातेदारी की भूमि– खेत खसरान् नम्बर 57, 60, 82, 141, 338, 342 365 व 371 की भूमियों में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.................... –....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **380/2018** दायर दिनाँक **24.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. वीरेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र गोविन्दसिंह राठौड़, उम्र–42साल, जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र स्वर्गीय धनसिंह, उम्र–70साल, 2. विक्रमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, उम्र–45साल, 3. प्रमोदकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–48साल, 4. सरोजकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–39साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रितमसिंह राठौड़, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद बाँठड़ी में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 03.09 बीघा व खेत खसरा नम्वर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 339 रकबा 00.17 बीघा व खेत खसरा नम्वर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 387 रकबा 24.17 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 442 रकबा 22.17 बीघा कुल रकबा 156.09 बीघा भूमि अवस्थित है, जो

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 380 / 2018
दायर दिनाँक 24.12.2018, निर्णय दिनाँक 23.01.2019
वीरेन्द्रसिंह बनाम् गोविन्दसिंह, वगैरा।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है और वे वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के पिता हैं। नकल खतौनी पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने अर्से–दराज पहले ही आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा मौके पर करके निम्नानुसार काबिजकाश्त हैं:–

(अ) वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के बन्ट व कब्जाकाश्त की भूमि–

खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12. 12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि।

(अ) प्रतिवादी संख्या 01 के बन्ट व कब्जाकाश्त की भूमि–

खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 03.09 बीघा व खेत खसरा नम्बर 339 रकबा 00.17 बीघा व खेत खसरा नम्बर 387 रकबा 24.17 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 442 रकबा 22.17 बीघा व कुल रकबा 52.00 बीघा भूमि।

वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का मौके पर उपर्युक्त मौखिक बन्ट माफिक कब्जाकाश्त है मगर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज होने से पक्षकारान् को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादी संख्या 05 को मौखिक बन्ट अनुसार खातेदारी दर्ज बाबत् निवेदन किया गया तो सक्षम न्यायालय में दावा किया जाने का जवाब मिलने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है। लिहाजा दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 का हित वादी के हित से विपरीत नहीं है परन्तु हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होने से मुआमले में बतौर पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। तहसीलदार डीडवाना को आवश्यक कानूनी पक्षकार होने से उन्हें से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

(क) सरहद बाँठड़ी में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 के जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ जिसे नियमानुसार स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम बाँठड़ी सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 46/41 की सत्यापित प्रतिलिपि, पेश की।

विद्वान वकुलाय उभयपक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी दावानुसार, दावा डिक्री किये जाने का निवेदन कर रह हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने वाद में इकबालिया जवाब पेश किया। वकुलाय इकबालिया जवाब/दावा अनुतोष माफिक दावा डिक्री किये जाने हेतु इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान् ने मौखिक बन्ट कर रखा तथा इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिजकाश्त है। उक्त मौखिक बन्ट माफिक, सरहद बाँठड़ी में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 के बन्ट व कब्जाकाश्त में है जिसके अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 02 खातेदारी चाहते है तथा इन खसरान् भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटवाना चाहते हैं।

ऐसी सूरत में, वादग्रस्त भूमि– सरहद बॉंठड़ी में खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से घोषित की जाना तथा प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद बॉंठड़ी के वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नलिखित खातेदारी आदेश पारित किया जाता है:–

1. खेत खसरा नम्बर 57 रकबा 13.00 बीघा व खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 01.14 बीघा व खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 22.18 बीघा व खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 10.19 बीघा व खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.15 बीघा व खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 07.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.11 बीघा व खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा कुल रकबा 104.09 बीघा भूमि, का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इन खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 का नाम, उक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 380/2018
दायर दिनाँक 24.12.2018, निर्णय दिनाँक 23.01.2019
वीरेन्द्रसिंह बनाम् गोविन्दसिंह, वगैरा।

2. प्रतिवादी संख्या 01, 03 ता 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी च प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से एवं खातेदारी की भूमि– खेत खसरान् नम्बर 57, 60, 82, 141, 338, 342 365 व 371 की भूमियों में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा व तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 23.01.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–380–2018/रीडर/2019/81 दिनाँक 23/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. वीरेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र गोविन्दसिंह राठौड़, उम्र–42साल, जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र स्वर्गीय धनसिंह, उम्र–70साल, 2. विक्रमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, उम्र–45साल, 3. प्रमोदकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–48साल, 4. सरोजकँवर पुत्री गोविन्दसिंह, उम्र–39साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner